उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक
जगाधरी वर्कशाप

संख्या 974-E/Welfare/Covid-19/जव   दिनांक 12.06.2020

214

सभी अधिकारीगण,
सभी वरि0 खण्ड अभियन्ता,
जगाधरी वर्कशाप।

विषय:- स्टेशन/मुख्यालय छोडने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता हेतु।

सन्दर्भ:-
1. कार्मिक एवं पशिक्षण विभाग के पत्र सं0 11013/07/04-Estt.(A) दिनांक 18.05.94 तथा पत्र सं0 11013/8/2015-Estt..A-III दिनांक 27.07.2015
2. रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 E(P&A)I-2015/CPC/LE-3 दिनांक 18.09.2015.
3. महाप्रबंधक (कार्मिक) के पत्र सं0 433-E/14-Pt.XI/EIV दिनांक 12.10.2015 तथा 01.02.2017

उपरोक्त DOPT & Rly. Board के सन्दर्भित पत्र के अनुसार सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार छुटटी तथा मुख्यालय छोडने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

अत: जगाधरी वर्कशाप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नियमानुसार कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के छुटटी तथा अपना मुख्यालय छोड कर ना जायें। अगर कोई कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अपना मुख्यालय छोड कर जाना पाया गया, उस कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील के तहत कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही साथ यह भी सूचित किया जाता है कि Covid-19 की महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु नागरिक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जांच की जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री पाये जाने पर तथा इसके बारे में सूचित ना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 52 के तहत भी कार्रवाई अपेक्षित है।

सभी अधिकारी तथा सुपरवाईजर/इंचार्ज से अनुरोध है कि वह इस पत्र का स्टाफ में व्यापक प्रचार प्रसार करें तथा अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

12/6/2020

(विनोद कुमार)
कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उ0 रे0, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव एनआरएमयू (यात्रिक एवं विधुत शाखा) - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
2. सचिव यूआरएमयू (यांत्रिक एवं सामान्य शाखा) -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
3. सचिव एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन -जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।
4. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक/इंचार्ज - जगाधरी एवं कालका वर्कशाप ।

Scanned with CamScanner